प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मास्क न धारण करने वालों से वसूला गया चौदह लाख दस हजार पाँच सौ रुपये का जुर्माना

दिनांक-18.04.2021

कोरोना संक्रमण के द्वितीय प्रसार को रोकने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी.सिंह द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी व सभी थाना प्रभारीगण को कोविड प्राटोकाल का पालन कराने व मास्क न धारण करने वालो व्यक्तियो के विरुद्ध चालान व जुर्माना करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह (दिनांक 10.04.2021 से 17.04.2021 तक) **मास्क न धारण करने के कारण 12,145 लोगों का चालान करते हुए 14,10,500/- (चौदह लाख दस हजार पाँच सौ)** रुपये का जुर्माना वसूला गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनता के सभी व्यक्तियों से अपील भी की गयी है कि किसी भी परिस्थिति में मास्क अवश्य धारण करे। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे तथा कोविड संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू के अन्तर्गत निर्गत नियमों का पालन करें एवं पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

दो गज दूरी.... मास्क है जरुरी....

....